

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
" मंत्रालय "
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक-17-4/2003/1/34, भोपाल,

दिनांक - 26मार्च, 2003

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त) जिला.....
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त),
जिला पंचायत.....
3. कार्यपालन यंत्री (समस्त),
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
खण्ड.....

विषय :- सेक्टर रिफार्म परियोजना, समग्र स्वच्छता अभियान एवं स्वजल धारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों की भूमिका ।

----- 000 -----

सेक्टर रिफार्म परियोजना तथा समग्र स्वच्छता अभियान एवं स्वजल धारा कार्यक्रम के मुल उद्देश्य ग्रामीन जनता को विकास में सहभागी व उत्तरदायी बनाना है। ग्राम के विकास की धारा का स्वरूप ग्रामवासीयों को ही निर्धारित करना है तथा उनकी इच्छा व आवश्यकता के अनुरूप ही विकास कार्य किया जाना है। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शासकीय अधिकारियों की भूमिका फेसीलिटेटर की होगी। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए कई विभागों के अधिकारियों का दायित्व है, तथापि शासन ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग बनाया है। अतः यह आवश्यक है कि विभागीय अधिकारियों की भूमिका तथा जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाए। नीचे दिए गए निर्देशों में संबंधित विभागों के अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट की जा रही है। ये निर्देश संबंधित विभागों की सहमति एवं मुख्य सचिव के अनुमोदन से जारी किए जा रहे हैं।

(1) उपयंत्री :-

- i. उपयंत्री अपने क्षेत्राधिकारी के प्रत्येक ग्राम/बसाहट का भ्रमण करेंगे। भ्रमण के समय वे ग्राम स्वराज के अन्तर्गत गठित ग्राम स्वास्थ्य समिति/सरपंच से सम्पर्क करेंगे तथा उनको इन योजनाओं की रूपरेखा बताते हुए इन योजनाओं के तहत प्रस्तावित किए जाने वाले कार्यों के संबंध में ग्राम सभा की बैठक आहूत कराने की कार्यवाही करेंगे।
- ii. ग्राम सभा की बैठक में उपरोक्त योजना की पूर्ण जानकारी देंगे ग्रामवासियों से उन कार्यों की माँग की जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थात् पेयजल प्रदायक संबंधित योजना, बी.पी.एल. सूची के अनुसार व्यक्तिगत एवं शौचालय, माहिला परिसर एवं शाला-शौचालयों के कार्यों की ग्राम में आवश्यकता के आधार पर प्रस्ताव प्राप्त करेंगे।
- iii. ग्राम सभा की बैठक में इन योजनाओं के तहत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक योगदान की अनिर्वायत की जानकारी देंगे तथा उन्हें जन सहयोग के लिए प्रेरित करेंगे। अगर ग्राम सभा की बैठक में कोई निर्णय नहीं होता है तो शीघ्र पुनः आगामी बैठक आयोजित कराने के कार्यवाही करेंगे।
- iv. ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों को समझाइश देगे कि वे बी.पी.एल में आने वाले परिवारों को पारिवारिक शौचालय बनाने के लिये प्रेरित करें।
- v. यदि ग्राम में शाला है तो उसके शौचालय निर्माण के लिये ग्रामवासियों को प्रेरित करेंगे तथा इस बाबत आवश्यक जन-सहयोग राशि देने के लिये प्रेरित करेंगे। इस के लिये शिक्षक पालक समिति का सहयोग भी लेंगे। यदि संबंधित ग्राम एक बड़ा ग्राम है तो उस ग्राम में महिला स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए भी ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों को प्रेरित करेंगे।
- vi. निमित्त शौचालय माहिला परिसर अथवा मल जल योजना के संसारण का महत्व भी ग्रामवासियों को बतायेगे।

- vii. ग्राम स्वास्थ्य समिति/ ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित कार्यों का प्राक्कलन उपयंत्री तैयार करेंगे तथा संक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करेंगे तथा ग्राम वासियों के तैयार किये गए प्राक्कलन की जानकारी देते हुए जनसहयोग की राशि क जानकारी देंगे तथा उसे शीघ्र एकत्रित कराने के लिए ग्राम सभा के पदाधिकारियों को प्रेरित करेंगे । इस कार्य में संबंधित सरपंच, पंचायत कर्मी उन्हें सहयोग देंगे अन्य विभागों के स्थानीय कर्मियों जैसे आंगन वाडी कार्यकर्ता, ए.एन.एम कृषक बंधु आदि का भी सहयोग प्राप्त करेंगे ।

(2) सहायक यंत्री:-

- i. अधीनस्थ उपयंत्रियों के उपरोक्त कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे । वे सुनिश्चित करेंगे की जिस ग्राम में जैसी आवश्यकता है, वैसी योजनाएं बनाई जा रही है ।
- ii. वे सतत भ्रमण करेंगे तथा कहीं कोई समस्या हो तो उनको निदान करेंगे ।
- iii. जिन कार्यक्रमों में पेयजल योजना 5लाख से अधिक की तैयार की जानी है, उसका प्राक्कलन तैयार करने के लिए मार्ग दर्शन देंगे । अपनी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले एन.सी. एवं पी.सी. विलेज का अनिवार्य रूप से भ्रमण कर उन ग्राम में पेयजल पदार्थ की योजनाएं तैयार कराने के लिए ग्राम स्वास्थ्य समिति एवं सभा को सम्पर्क कर प्रेरित करेंगे ।

(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत :-

1. वे ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराए जा रहे बी.पी.एल. सर्वे के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि इस सूची के तहत आने वाले परिवारों के व्यक्तिगत शौचालय की उपलब्धता एवं अनुपलब्धता की जानकारी संकलित की गई अथवा नहीं । वे यह सूची कार्यपालन यंत्री को उपलब्ध कराएंगे ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकासखण्ड के प्रत्येक ग्राम में योजनाओं में इन योजनाओं के तहत बनाए जा रहे ऐक्शन प्लान को बनवाने के लिए सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे तथा ऐसे बनाए गए ऐक्शन प्लान के क्रियान्वयन में भी सहयोग देंगे ।
3. वह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विकासखण्ड के अन्तर्गत कोई भी ग्राम बसाहट उपरोक्त योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रह जाए ।
4. उपरोक्त योजनाओं के तहत अगर किसी ग्राम से कोई मॉंग नहीं आ रही है तो उसका भ्रमण करेंगे एवं ग्राम स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारियों तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर ग्राम में आवश्यकतानुसार योजना बनाएंगे ।
5. विकासखण्ड स्तर पर होने वाली बैठकों में शामिल होकर इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समन्वयक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे ।
6. स्वीकृति के लिए प्राप्त योजनाओं की स्वीकृति, योजना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर जारी करेंगे ।

(4) कार्यपालन यंत्री:-

1. कार्यपालन यंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक जिले में उपरोक्तानुसार आगामी एक माह में ऐक्शन प्लान बनाया जा चुका है ।
2. बनाए गए ऐक्शन प्लान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे ।
3. चल रहे विकास कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे ।
4. उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लागू नियम तथा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे ।
5. यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले के अन्तर्गत कोई भी ग्राम/बसाहट उपरोक्त योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रह जाए ।

6. उपरोक्त योजनाओं के तहत अगर किसी ग्राम से कोई माँग नहीं आ रही है तो उसका भ्रमण करेंगे एवं ग्राम स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारियों से सम्पर्क कर ग्राम की आवश्यकतानुसार योजना बनवाएंगे ।
7. कार्यपालन यंत्री एन.सी. व पी.सी. बसाहटों में जलप्रदाय योजनाओं की माँग के लिए अनिवार्यतः भ्रमण करेंगे ।
8. विकासखण्ड स्तर पर होने वाली बैठको में शामिल होकर अधीनस्थ अधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे ।
9. चल रहे निर्माण कार्यों का रैण्डम निरीक्षण भी करेंगे ।
10. पूर्ण किए हुए कार्यों का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रेषित करना सुनिश्चित कराएँगे ।
11. इन तीनों योजनाओं के लिए जिला पंचायत के तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे ।
12. स्वजल धारा योजना के तहत बताए गए प्रस्तावों की तकनीकी रूप से सक्षम एवं आर्थिक दृष्टि से मितव्ययी (टेक्लो इकानामिक फीजीबीलीटी) का प्रमाण पत्र देंगे ।

(5) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिले की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अध्ययन कर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन योजनाओं के तहत जारी निर्देशों एवं जिले की मांग के अनुरूप तैयार हुई हो तो अगर ऐसा नहीं पाया जाता अथवा इसमें कोई कमी हो तो उसके संशोधन की कार्यवाही करेंगे। इस बाबत आवश्यकता नुसार बेस लाईन सर्वे तथा स्कोपिंग की कार्यवाही कराएंगे ।
2. वे ग्रामिन विकास विभाग द्वारा कराए जा रहे बी.पी.एल.सर्वे के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि इस सुची के तहत आने वाले परिवारों के व्यक्तिगत शौचालय की उपलब्धता एवं अनुपलब्ध करायेंगे ।
3. राज्य सरकार/भारत सरकार को सरामयिक जानकारी प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे
4. एन.सी.एवं पी.सी.ग्रामों के प्रस्ताव डी.पी.आर.में शामिल हो गए हैं अथवा नहीं सुनिश्चित करेंगे।
5. प्रशासनिक व्यय हेतु न्यूनतम आवश्यकतानुसार जो प्राधिकारी प्राकलन आदि बनाएंगे उन्हें राशि उपलब्ध कराएंगे।

(6) जिला कलेक्टर :-

1. उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वेयन के लिए जिला स्तर पर नेतृत्व प्रदान करेंगे विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के मध्य समन्वयक का कार्य करेंगे ।
2. इन योजनाओं के क्रियान्वेयन के लिए यदि अन्य विभाग के सहयोग आवश्यकता हो तो उस बाबत आवश्यक कार्यवाही करेंगे। यदि शासन स्तर से कि सी निर्देश की आवश्यकता हो तो उसका प्रस्ताव प्रेषित करेंगे।
3. अगर जिले में इन योजनाओं के क्रियान्वेयन हेतु एन.जी.ओ.से भी कार्य कराया जा रहा है ,तो उन्हें आवश्यक सहयोग,हर स्तर से,प्राप्त हो, यह व्यवस्था कलेक्टर सुनिश्चित करेंगे ! ग्रामों के लिए स्वच्छता , पेयजल के साथ-साथ समग्र विकास की योजना बनें , इस हेतु एन.जी.ओ. को शासकीय कार्यक्रमों, विशेष रूप से ग्रामीण विकास विभाग के अन्य कार्यक्रमों की जानकारी भी दी जाएगी
4. इन योजनाओं में कार्य कर रहे अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों अधिकारियों द्वारा उपलब्धि अथवा कमी के संबंध में टीप अंकित कर सकेंगे !
5. इन योजनाओं के क्रियान्वेयन में यदि कोई तकनीकी समस्या महसूस करते हैं अथवा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ स्तर के किसी निर्देश की अपेक्षा करते हैं वे मुख्य अभियंता परिक्षेत्र को इससे संबंधित बैठक में आमंत्रित कर सकेंगे।

(7) मुख्य अभियंता:-

1. मुख्य अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक जिले का एक्शन प्लान तैयार हो गया हो ।

2. निर्देश जारी होने के 02 माह में कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यंत्रियों के साथ बैठक कर एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
3. यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले के समस्त एन.सी.एवं पी.सी. ग्रामों में पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव तैयार हो गए हैं।
4. चल रहे कार्यों का रैण्डम निरीक्षण करेंगे।
5. इन योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा इस संबंध में दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेंगे।
6. पूर्ण हो चुके कार्यों का यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट प्रेषित किये जा रहे हैं अथवा नहीं इस बाबत कार्यवाही करेंगे।
7. अपने अधीनस्थ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की वार्षिक चरित्रावली में योजना संबंधी उपलब्ध/अनुपलब्धि पर टीका करेंगे। वर्ष 2003-04 के लिए इस संबंध में लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

(8) परियोजना संचालक, सेक्टर रिफार्म:-

1. योजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का पर्यवेक्षण करेंगे। अभी तक की प्रगति की गति में सुधार कराएंगे। योजना परिक्षेत्र में विस्तृत भ्रमण करेंगे।
2. एन.सी. एवं पी.सी. ग्रामों का अधिनियम भ्रमण करेंगे।
3. इन योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जिला स्तरीय बैठकों में भाग लेंगे।
4. राज्य एवं केन्द्र से प्राप्त होने वाले आवंटन को जारी कराए जाने की कार्यवाही करेंगे।

(9) प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी:-

1. उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण करेंगे।
2. राज्य एवं केन्द्र से संबंधित आवंटन समय-समय पर रीलिज हो रहा है अथवा नहीं, इसको सुनिश्चित करेंगे।
3. पूर्ण हुए कार्यों के यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट का प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(10) सलाहकार प्रौद्योगिक मिशन:-

पूर्व में जारी निर्देशों के तहत सेक्टर रिफार्म सेल का कार्य क्रियान्वित करेंगे योजनाओं के पर्याप्त संख्या में बनाया जाना, क्रियान्वित होना आदि पर सतत निगाह रखेंगे भ्रमण करेंगे तथा कहीं कोई कमी परिलक्षित होती है तो प्रमुख सचिव की नोटिस में लाएंगे।

(माला श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क0-17-4/2003/1/चौतीस, भोपाल, दिनांक-26 मार्च, 2003

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन ग्रामीण विकास विभाग निवेदन है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के लिए अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत विभाग निवेदन है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के लिए अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

3. आयुक्त राजस्व सम्भाग(समस्त) कृपया उपरोक्त योजनाओं की प्रगति के संबंध में सम्भाग स्तरीय मासिक बैठक में अनुश्रवण करने का कष्ट करें ।
4. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मध्यप्रदेश भोपाल कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित कराएं तथा योजनाओं की प्रगति के संबंध में नियमित पर्यवेक्षण करें ।
5. प्रमुख अभियंता एवं सलाहकार, प्रौद्योगिकी मिशन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मध्यप्रदेश भोपाल कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित कराएं तथा योजनाओं की प्रगति के संबंध में नियमित पर्यवेक्षण करें ।
6. परियोजना संचालक सेक्टर रिफॉर्म भोपाल की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
7. मुख्य अभियंता (समस्त) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परिक्षेत्र..... योजना परिक्षेत्र में भ्रमण करें। योजना का अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन में कोई कमी महसूस करते हैं तो उसका दूर करने की कार्यवाही करें और यदि स संबंध में शासन स्तर से किसी आदेश की उपेक्षा है तो प्रकरण सन्दर्भित करें ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त) जनपद पंचायत..... की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
9. सहायक यंत्री (समस्त) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड..... जिला की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
10. उपयंत्री (समस्त), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड..... जिला की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ।
मध्यप्रदेश शासन